

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवानिवृत्ति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए) प्रारूप-6

इस कार्यालय के आदेश शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/से.नि./1853/03 दिनांक 23.07.2003 द्वारा निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष का जिनके नाम के आगे के कॉलम में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 23.07.2003 द्वारा जारी किया गया था, परन्तु वरिष्ठ अध्यापक पद के निलंबन काल का निस्तारण बकाया होने से इनका प्रारूप-6 जारी नहीं किया गया। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 656/2007 रामसिंह बनाम निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर व अन्य में दायर के निर्णय दिनांक 07.04.2021 द्वारा निर्देशित किया गया कि श्री राम सिंह कुम्पावत के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है एवं निलंबन से बहाल भी किया गया। अतः प्रारूप-6 के अनुसार सेवा निवृत्ति / सेवा संतोषजनक आदेश जारी किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	विषय	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	DOB DD/MM/YYYY	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति तिथि
1	राम सिंह कुम्पावत	इतिहास	सेवानिवृत्त अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा-पाली	25/07/1945	31/07/2003

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है। इनकी निलम्बन अवधि सेवा योग्य मानी जाकर निस्तारित किया गया है।
 - 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/इति-वाणि/2022-23

दिनांक-06-07-22

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर